



## JALAUN POLICE

दिनांक – 04.06.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में मान० न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं 3,000/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया।

**मुकदमें में सजा पाये अभियुक्तगण का विवरण निम्नवत है –**

**प्रकरण**—अभियुक्त सतीश उर्फ छोटू पुत्र सरमन नि० ग्राम भेंड़ थाना काँच जनपद जालौन द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के संबन्ध में कोतवाली जालौन में दिनांक 04.03.2018 को मु०अ०सं० 40/18 (वाद संख्या 101/18) धारा 379/411/413 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त उपरोक्त के आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 04.06.2025 को मा० न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त सतीश उर्फ छोटू उपरोक्त को दोषी पाते हुये 03 वर्ष का कारावास एवं 3,000/- रुपये के अर्धदण्ड से दण्डित किया गया है।